

डीसी ने विश्व आदिवासी दिवस 1645 हेक्टेयर भूमि के सामुदायिक वन पट्टा का किया वितरण



देशप्राण संवाददाता

मेदिनीनगर : विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर शुक्रवार को समाहरणालय के सभागार में कार्यक्रम आयोजित कर उपायुक्त शशि रंजन, उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद, वन प्रमंडल पदाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारियों ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत नवाबाजार प्रखंड के 12 ग्रामों में कुल 1645 हेक्टेयर भूमि के सामुदायिक वन पट्टा का वितरण किया। इस दौरान समाहरणालय के सभागार में आये लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी सभी ने एक सुर में

सरकार व जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया इस अवसर पर उपायुक्त श्री रंजन ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि वनों पर निर्भर लोगों को उनका अधिकार देने के लिए सरकार व प्रशासन गंभीर है। उन्होंने कहा कि प्रशासन वन पट्टा हासिल करने के योग्य हर व्यक्ति को उसका हक दिलाने के प्रति संकल्पित है। उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी सेवाराम साहू को अबुआ वीर दिशोम वनाधिकार अभियान के अंतर्गत तीव्र गति से बड़ी संख्या में भूमिहीन पात्र लोगों के बीच वनपट्टा वितरण कराने की संपूर्ण कार्रवाई करने को लेकर निर्देशित किया।

कंडा में ग्राम स्वशासन अभियान के तहत 32 प्रधान एवं उप प्रधान को दिया गया एक दिवसीय प्रशिक्षण



नावा बाजार पलामू। नावा बाजार विकास सहयोग केंद्र द्वारा चलाए जा रहे ग्राम स्वशासन अभियान के तहत नावा बाजार प्रखंड के 16 गांव में ग्राम सभा द्वारा चयनित किया गया है। जिसमें 32 प्रधान एवं उप प्रधान को प्रशिक्षण कंडा कार्यालय में दिया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य था कि प्रधान एवं उप प्रधान को ग्राम सभा के नियम कानून तथा उनकी जिम्मेदारियों से उन्हें अवगत कराना। प्रशिक्षण में महिला एवं पुरुष दोनों मौजूद थे। यह प्रशिक्षण जवाहर मेहता, मुनेश्वर सिंह, देवलाल भगत, शकील एवं अनिल पासवान के द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रतिभागियों ने इस प्रशिक्षण में आवेदन लिखना अर्थात् सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजना बनाओ अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त किया।

आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में खोड़ी पंचायत में रही ग्रामीणों की भीड़ वीर शहीद पोटो हो खेल मैदान का किया गया शिलान्यास

18

नाव ने ब सब अक अर्रा माह जमा उपभ रहेग नहीं को उप



194587
34.011485
21.02+100 m
8 m
2025 15:07



blowing the horn without

notice. If a large number of

showroom sells the vehicle

the Municipal Corporation.

to the information, R.K.

mourning is being seen in

Major irregularities exposed in Palamu Jal Jeevan Mission

Correspondent • CT

Medininagar (Palamu): Social audit of Jal Jeevan Mission scheme was conducted by the Gram Sabhas of 12 villages under Nawa block in Palamu district of Jharkhand and technical support was provided by Vikas Sahayog Kendra. A public hearing was organized in the block office premises Nawa Bazar on 22 March 2025 on World Water Day regarding the irregularities and problems found in the social audit. Shri Balram (former state advisor to the Commissioner of the Supreme Court), James Herenz (Jharkhand Social Audit Executive Member), Vidya Devi (Principal), Rajiv Ranjan Kumar (Zonal Officer, Nawa Bazar), Ajit Pathak (Journalist) were included in the jury panel for the public hearing. In the public hearing, first of all Jawahar Mehta of Vikas Sahayog Kendra Sansthan gave a brief information about the concept of social audit and public hearing and the Jal Jeevan Mission scheme. Subhadra Panigrahi presented the audit report of 12 villages. After that, separate fact finding reports of villages Sarauma, Khokhma, Tukbera, Rajahara, Chocharia, Sinjo, Itko, Nenua, Bandua, Hatai,

Kumbhi Khurd and Thekhi were presented before the jury and it was confirmed by the people of the Gram Sabha present there. Several serious flaws in the implementation of Jal Jeevan Mission exposed in the public hearing: Several serious flaws in the implementation of Jal Jeevan Mission came to light in the public hearing. For example, according to the government data, 2,892 families in 12 villages have got tap water connection, but in reality only 414 families have tap water connection. Water supply in schools and Anganwadi centers has been shown to be 45, whereas only 16 have tap water connection. In terms of government expenditure, 4,222 lakhs were sanctioned for Jal Jeevan Mission, out of which 3,266 lakhs (78%) have been spent, but the condition of water supply is very pathetic. Only 57 Jal Minars are functional, while 50 Jal Minars are lying closed. A survey of 87 Pani Samiti members revealed that only 18% of the members are aware of their responsibilities. Only 13% of the members are aware of the water testing kit. Only 14% of the members have received any training as Jal Samiti members. Many of the names of the beneficiaries

of Jal Jeevan Mission are fake who do not live in that village. Social audit revealed that they are from other villages. Some such cases were also found which are from other blocks. For example - all the 112 beneficiaries shown in Khokhma village are not from that village. 28 beneficiaries in Rajahara village are fake who are from Lohdi village which is in Padwa block. Surprisingly, they have been shown as beneficiaries of both the villages. Similarly, 42 beneficiaries in ITCO, 30 in Sinjo and 26 in Sarauma are from other villages. Departmental officials remained silent during the public hearing: Dharmendra Dubey was present as an officer from the Public Health Engineering Department (PHED) in the public hearing, who was asked by the jury team to respond to the matter raised during the public hearing. Recommendation to blacklist the concerned agency in the public hearing: After this social audit, for the effective implementation of Jal Jeevan Mission, the jury decided that the matter of fake beneficiaries in Jal Jeevan Mission should be taken seriously and action should be taken against the agency that has done the work. The agency



should be blacklisted and action should be taken against them. - Corruption has taken place and it should be investigated. Jal Sahia and other committee members should be trained on how to test water. The pending water tower should be completed as soon as possible so that people can get pure water. An independent water investigation committee should be formed to investigate Jal Jeevan Mission. An official letter should be issued to authorize this investigation committee. Along with the toll-free number, contact numbers of other officials should also be made public. Complaint boxes should be installed in Panchayat buildings, so that people can register

Public hearing held in Nawabazar block on World Water Day
Development Cooperation Center conducted social audit
their complaints and they get quick solution. Instructions to PHED department to conduct survey and submit report within 15 days. The members of the water committee will be trained and their role will be strengthened. The members of the water committee will be trained and their role will be strengthened. The villagers should be given information about the budget and contractors so that they can monitor the transparency of the work. In the public hearing, Rajmuni Singh from village Sarauma, Kamlesh Chandra from Khokhma, Dakhni Devi from Kumbhi Panigrahi, Khurd, Devkan Singh, Rajendra Singh from Nenua, Pinky Devi from Checharia, Usha Devi from Rajahara, Anuj Pal from Sinjo, Lala Parhiya from Hatai, Recna Devi from Bandua spoke about their respective villages. Mrityunjay Ratnakar from MSUS, Ashok Singh from Sahyogi Shikshan Kendra and Suman Kumari from PCI India participated in the program. Nukad Natak was also shown on World Water Day to focus on water crisis. About 500 villagers participated in the program. The program was jointly conducted by Anil Paswan and Subhadra Panigrahi.



पलामू भास्कर 24-03-2025

झारखंड प्रहरी

पलामू

झूठे कागजी आंकड़ों के बीच पीने के पानी के लिए तरस रहे लोग

झारखंड प्रहरी

पलामू



जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जनसुनवाई में दो भी रहे शामिल
जनसुनवाई में दो भी रहे शामिल
जनसुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

जन सुनवाई में दो भी रहे शामिल

2,892 परिवारों को नल जल कनेक्शन देने का दावा, पर 414 को ही मिल रहा है पानी जल जीवन मिशन में गड़बड़ियां 12 गांवों में फर्जी लाभार्थी मिले

मासक न्यूज़ | मेडिनिगर

जल दिवस पर नावा बाजार प्रखंड कार्यालय परिसर में जन सुनवाई हुई। इसमें जल जीवन मिशन की खामियां उजागर हुईं। 12 गांवों में हुए सामाजिक अंशेक्षण में कई गड़बड़ियां सामने आईं। सरकारी आंकड़ों में 2,892 परिवारों को नल जल कनेक्शन दिखाया गया, लेकिन हकीकत में केवल 414 परिवारों को ही पानी मिल रहा है। स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में 45 कनेक्शन दर्ज हैं, जबकि केवल 16 में ही जलपट्टी हो रही है। जल जीवन मिशन के लिए 4,222 लाख रुपये आवंटित हुए थे। इसमें से 3,266 लाख खर्च हो चुके हैं, लेकिन जल आपूर्ति की स्थिति खराब है। 57 जलमित्र चालू हैं, जबकि 50 बंद पड़े हैं। 87 पानी समिति सदस्यों के सचिवों में पता चला कि केवल 18 प्रतिशत को अपनी जिम्मेदारियों की जानकारी है। 13 प्रतिशत को जल परीक्षण किट की जानकारी है। 14 प्रतिशत को कोई भी जानकारी नहीं मिली। सामाजिक अंशेक्षण में फर्जी लाभार्थियों का



जनसुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित लोग

मामला भी सामने आया। कई लाभार्थी उस गांव के नहीं हैं, जहां उनका नाम दर्ज है। खोखमा गांव में 112, रजहार में 28, इटको में 42, सिंजो में 30 और सरना में 26 फर्जी लाभार्थी मिले। रजहार के 28 लाभार्थी लोहड़ी गांव के हैं, जो पड़वा प्रखंड में आता है। जन सुनवाई में जुरी मास्ते की जांच और दोषी एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की गई। जल सहीगा और समिति सदस्यों को प्रशिक्षण देने, संबंधित जल टावर जल्द पूरा करने और स्वतंत्र पानी जांच समिति बनाने का सुझाव दिया गया। पौरसभाई

विभाग को 15 दिनों में सर्वे रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। पंचायत भवन में शिकवत पो लामने और टेल-ग्री नंबर बनाने की सिफारिश की गई। मुखिया व वीपीओ समेत 4 पर 8.80 लाख का जुमाना फलन। सगुना पंचायत सचिवा में मनरेगा का पंचायत सचिव सुनवाई संभल हुआ। अडिस्ट सत्र 2021-22 किया ग अडिस्ट कर रही अडिस्ट टीम मनरेगा योजना के क्रियान्वयन शरी अनिवार्यता पाई गई पंचायत अंतर्गत सत्र 2021-22 मनरेगा से क्रियान्वयन योजना लक्ष्यवादी के आरोप में अडिस्ट दल ड्रा पूर मुखिया, पंच सेस्क, रोजगार सेस्क व अन्य लक्ष्य गया है। अंशेक्षण दल नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई जगगी। भैंके पर मुखिया मंजु पंचायत सचिव अमरद हू अडिस्ट टीम के सदस्य स अंशेरी, राममूल मांयो, कुमार व अन्य लोग मौजूद थे।

गाँधी जयंती समारोह का आयोजन एवं काम मांग अभियान की शुरुआत

उत्कल मेल, संवाददाता

मेदिनीनगर (पलामू) : ग्राम कंडा के गाँधी आश्रम में विकास सहयोग केंद्र संस्था एवं कंडा ग्राम सभा के लोगों ने गाँधी जयंती समारोह का आयोजन किया। समारोह के शुरू में रैली निकला गया और उसके बाद गाँधी आश्रम में स्थापित गाँधी जी के प्रतिमा पर कंडा के मुखिया नरेन्द्र सिंह, स्वतंत्र सेनानी के परिवार रमेश विश्वकर्मा, गिरजा विश्वकर्मा विकास सहयोग केंद्र संस्था के अध्यक्ष जवाहर मेहता द्वारा माल्यार्पण किया गया उसके बाद वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया, एवं भजन, गीत एवं भाषण कार्यक्रम किया गया। सभा को संबोधित करते हुए कंडा के मुखिया ने कहा गाँधी के सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए एवं गांव को स्वच्छ बनाये रखना चाहिए, संस्था के जवाहर मेहता ने कहा कि आज दुनिया में युद्ध चल रहा है और अशांति उत्पन्न हो रहा है, ऐसे में गाँधी सत्य एवं अहिंसा का सिद्धांत और ज्यादा प्रासंगिक हो गया



है। गाँधी जी के दक्षिण अफ्रीका एवं चम्पारण में सत्य एवं अहिंसा के प्रयोग के बारे में जानकारी दिया। अनिल पासवान ने कहा कि गाँधी जी स्वराज की बात करते थे उसका मतलब है कि हमारे गांव में हमारा राज्य, परन्तु गांव के लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, वे सरकारी आदेश के गुलाम होते जा रहे हैं, इन्होंने लोगों को हर गांव को स्वच्छ बनाने पर जोर दिया। साथ ही कहा आज सभी पंचायत में विशेष ग्राम सभा होना है, इस मौके पर हम लोग सभी पंचायत में काम मांगो अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, आज से अभियान

एक माह तक चलेगा और इस दौरान मनरेगा मजदूर को जीब कार्ड बनाने, डिलीट जीब कार्ड को एक्टिवेट कराने एवं काम मांग कराने का कार्य किया जायेगा। ग्राम पंचायत के साथ मिलकर कार्यक्रम का संचालन मुनेश्वर सिंह के द्वारा किया गया। इस मौके पर अवध सिंह, पूनम देवी, दीपिका ठाकुर, निकी कुमारी, देवलाल भगत, योगेन्द्र विश्वकर्मा, शिल्पा कश्यप, पंचम कुमार, ईशा बनर्जी, विदांत बंसल, संदीप कुमार, अद्रिता चक्रवर्ती, किरण देवी सहित 200 लोग शामिल थे।

प्रकाश उपस्थित थे।

मड्डुआ के बीज पर किसानों को प्रशिक्षण



मेदिनीनगर (पलामू) : विकास सहयोग केंद्र संस्था के कार्यालय कंडा, नावा बाजार के किसानों को मड्डुआ के बीज रखने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। संस्था द्वारा इस वर्ष नावा बाजार में 250 किसानों के द्वारा 40 एकड़ में मड्डुआ एवं अन्य मोटे अनाजों की खेती करवाया गया था। इसमें से हर ग्राम पंचायत से चयन कर 25 किसानों को बीज प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण देने के लिए वासन संस्था, हैदराबाद के दीक्षा आलोक एवं भैरव सैनी आए थे। इनके द्वारा बीज के गुणवत्ता के बारे में बताया गया। बीज में मिलावट न हो इसे काटकर अलग रखने, बीज के लिए पुष्ट पौधे का चयन करने, अच्छे पहली का चयन कर तोड़ने आदि की जानकारी दिया गया। इसके भंडारण करने के तरीके बताए गए। सभी किसानों को इटकों ग्राम के बिमला देवी के मड्डुआ लगे खेत में ले जाकर ऑन द स्पॉट प्रशिक्षण भी दिया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य स्थानिये स्तर पर मिलेट खासकर मड्डुआ का गुनवाता पूर्ण बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। सभी किसानों को काम से कम 10 किलोग्राम अच्छे बीज रखने को कहा गया। प्रशिक्षण में सरयू भुईयां, नीरा देवी, कुंती देवी, मकुन राम, विरेन्द्र कुमार, लालपति देवी, मीना देवी, प्रमिला देवी, काजल देवी, दिनेश्वर सिंह, प्रतिमा देवी, सोनरवा देवी, गणेश परहिवा, राम सहाय सिंह, विजय सिंह आदि ने भाग लिया।

विकास सहयोग केंद्र और मल्टी आर्ट्स एसोसिएशन संस्था द्वारा आयोजित तीन दिवसीय जीपीडीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ

उत्कल मेल संवाददाता

मेदिनीनगर (पलामू) : इस कार्यक्रम में 48 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें 4 पंचायतों के 11 पीआरआई सदस्य भी शामिल थे।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को प्रभावी ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने और उसे लागू करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना था।

पहले दिन, प्रतिभागियों ने भागीदारी योजना, लोकतांत्रिक मूल्यों और जीपीडीपी प्रक्रिया में हितधारकों की भूमिका पर केंद्रित इंटरैक्टिव सत्र और समूह गतिविधियों में भाग लिया। दूसरे दिन, उन्होंने बरवाडीह प्रखंड के कंडा ग्राम पंचायत के चार गांवों का दौरा किया और विभिन्न समुदाय समूहों के



साथ संवादात्मक सत्र में भाग लिया। तीसरे दिन, प्रतिभागियों ने जीपीडीपी के लिए तैयार की गई योजना की प्रस्तुति की एवं और ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के बारे में जानकारी प्राप्त की।

प्रशिक्षण के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और योजना प्रक्रिया में नागरिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया। ई-ग्राम स्वराज

पोर्टल नागरिकों को जीपीडीपी कार्यान्वयन की प्रगति को ट्रैक करने और पारदर्शिता बनाए रखने में कैसे मदद करेगा इसके बारे में बताया गया। श्री बलराम, जवाहर मेहता, जेम्स हेरेंज, सुभद्रा पाणिग्रही एवं अनिल पासवान रिसोर्स पर्सन के रूप में भाग लेकर विषयवार जानकारी दिया एवं प्रशिक्षण को सफल बनाया।

जीपीडीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन

नावा बाजार, विकास सहयोग केंद्र और मल्टी आर्ट्स एसोसिएशन संस्था के द्वारा तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान प्रतिभागियों को प्रभावी ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) को तैयार करने और उसे लागू करने के संबंध में जानकारी दी गयी। प्रशिक्षण में पहले दिन प्रतिभागियों ने भागीदारी योजना, लोकार्तात्रिक मूल्यों और जीपीडीपी प्रक्रिया में हितधारकों की भूमिका पर जानकारी दी गयी। दूसरे दिन लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड की केड़ ग्राम पंचायत के चार गांवों का दौरा किया और विभिन्न समुदाय समूहों के साथ संवादात्मक सत्र में चलाया गया। वहीं तीसरे दिन प्रतिभागियों ने जीपीडीपी के लिए तैयार की गयी योजना की प्रस्तुति की और ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रशिक्षण के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और योजना प्रक्रिया में नागरिक भागीदारी के महत्व को बताया गया। **प्रभात खबर**

विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर डीसी ने किया वन पट्टा का वितरण



प्रभात मंत्र संवाददाता

मेदिनीनगर : विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर शुक्रवार को समाहरणालय के सभागार में कार्यक्रम आयोजित कर उपायुक्त शशि रंजन, उप विकास आयुक्त शम्बीर अहमद, वन प्रमंडल पदाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारियों ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत नवाबाजार प्रखंड के 12 ग्रामों में कुल 1645 हेक्टर भूमि के सामुदायिक वन पट्टा का वितरण

किया। इस दौरान समाहरणालय के सभागार में आये लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी। सभी ने एक सुर में सरकार व जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर उपायुक्त श्री रंजन ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि वनों पर निर्भर लोगों को उनका अधिकार देने के लिए सरकार व प्रशासन गंभीर है। उन्होंने कहा कि प्रशासन वन पट्टा हासिल करने के योग्य हर व्यक्ति को उसका हक दिलाने के प्रति संकल्पित है। उन्होंने

जिला कल्याण पदाधिकारी सेवाम साहू को अबुआ वीर दिशोम वनाधिकार अभियान के अंतर्गत तीव्र गति से बढ़ी संख्या में भूमिहीन पात्र लोगों के बीच वनपट्टा वितरण कराने की संपूर्ण कार्रवाई करने को लेकर निर्देशित किया। उन्होंने कल्याण पदाधिकारी को वन क्षेत्र के अंतर्गत हर गांव में वनाधिकार समिति (एफआरसी) अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति (एसडीएलसी) और जिलास्तरीय वनाधिकार समिति (डीएलसी) को सक्रिय रखने पर बल दिया। उपायुक्त ने सभागार में मौजूद ग्रामीणों से वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन क्षेत्र में निवास करनेवाले लोगों को उनके अधिकार की जानकारी पहुंचाने के सहयोग करने की अपील की। मौके पर उपरोक्त के अलावे अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, एनडीसी समेत नवाबाजार से आये बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

खनन के विरोध में सड़क पर उतरे जनजाति

राष्ट्रीय खबर

छतरपुर: पलामू जिले के छतरपुर प्रखंड के हुलसम पंचायत के चिलहो खुर्द के सैकड़ों महिलाओं एवं पुरुषों ने ग्राम सभा के बैनर तले चिलहो खुर्द से पैदल विरोध प्रदर्शन करते हुए छतरपुर थाने के पास पहुंचकर थाना प्रभारी के विरोध में नारेबाजी करते हुए अनुमंडल कार्यालय पहुंचे और अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने पत्थर खनन लीज को रद्द करने की मांग की, खनन माफिया मुकेश सिंह पर डराने धमकाने एवं गाली गलौज करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने की मांग की, खनन माफिया के पक्ष में काम करने वाले छतरपुर के थाना प्रभारी को तुरंत यहां से हटाया जाए, झूठा एवं गलत रिपोर्ट देने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी पर प्राथमिकी दर्ज किया जाए, ग्रामीणों के अनुसार मुकेश सिंह पैसे एवं प्रभाव का इस्तेमाल कर थाना पुलिस को भी अपने पक्ष में कर लिया है छतरपुर के थाना प्रभारी हम लोगों को बात करने के लिए थाना में बुलाए थे



हमारे गांव से दिनांक 17:12 2022 को मुरारी सिंह, श्रीकांत सिंह, एवं चुटाई सिंह मिलने के लिए गए थे।

इन लोगों को थाना प्रभारी ने धमकाया और कहा कि क्रेशर एवं खनन में बाधा मत डालो और खनन कार्य होने दो नहीं तो तुम लोगों को झूठे केस में फंसा कर जेल भेज देंगे वन विभाग पर खनन पट्टा का फर्जी एनओसी देने के लिए निशाना साधा ग्रामीणों ने कहा कि खनन लीज को लेकर वन प्रमंडल कार्यालय मेदिनीनगर द्वारा फर्जी एनओसी तैयार किया गया है एनओसी के अनुसार खनन पट्टा के 200 मीटर के दायरे में कोई मानव बसाहट नहीं है जबकि सच्चाई यह

है कि 200 मीटर के दायरे में कई घर हैं एनओसी के अनुसार खनन पट्टा के 100 मीटर के दायरे में कृषि योग्य भूमि नहीं है जबकि सच्चाई यह है कि खनन पट्टा के बगल में ही खेती होती है ग्राम सभा ने एक स्वर में कहा कि उनके पास लीज रद्द किए जाने की मांग की पर्याप्त आधार एवं साक्ष्य हैं जिला खनन कार्यालय द्वारा खनन पट्टा को लेकर दी गई स्वीकृति में स्पष्ट लिखा है कि अगर वन पट्टा क्षेत्र में किसी तरह की अड़चन आती है तो वन पट्टा रद्द कर दिया जाएगा मौके पर दिनेश सिंह मुरारी सिंह राजेंद्र सिंह गोरखनाथ सिंह छोटू सिंह तथा सैकड़ों महिला एवं पुरुष उपस्थित थे।

रांची, शनिवार
05.10.2024

02

गांधी जयंती पर सम्मानित किये गये स्वतंत्रता सेनानी के परिवार



कार्यक्रम में उपस्थित स्वतंत्रता सेनानी के परिवार.

प्रतिनिधि, नावाबाजार

विकास सहयोग केंद्र संस्था एवं ग्राम स्वशासन अभियान के द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर कंडा गांधी आश्रम प्रांगण में समारोह का आयोजन किया गया। इससे पूर्व संस्था के लोगों द्वारा हाथ में तख्ती लिए प्रभात फेरी निकाली गयी। इसके बाद गांधी आश्रम में स्थापित गांधी जी के प्रतिमा एवं 10 स्वतंत्रता सेनानी चौक पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गयी। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी परिवार को विकास सहयोग केंद्र संस्था के अध्यक्ष जवाहर मेहता के द्वारा पुरस्कृत किया गया। आश्रम प्रांगण में कार्यक्रम के

दौरान सभा को संबोधित करते हुए संस्था के अध्यक्ष जवाहर मेहता ने कहा कि गांधी जी के सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए एवं गांव को स्वच्छ बनाये रखना चाहिए। अनिल पासवान ने कहा कि गांधी जी स्वराज की बात करते थे। उसका मतलब है कि हमारे गांव में हमारा राज्य, लेकिन गांव के लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन मुनेश्वर सिंह ने किया। मौके पर अवध सिंह, पुनम देवी, दीपिका ठाकुर, निमी कुमारी, देवलाल भगत, योगेंद्र विश्वकर्मा, शिल्पा कश्यप, पंचम कुमार, ईशा बनर्जी, विदांत बंसल सदीप कुमार, अद्रिता चक्रवर्ती, किण देवी सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे।

बीडीओ से की डीलर की शिकायत

प्रभात खबर



जावाबाजार. रजहारा पंचायत के चेचन्हा गांव के करीब दो दर्जन राशन कार्डधारियों ने जनवितरण प्रणाली दुकानदार शिवशंकर मेहता के खिलाफ राशन वितरण नहीं करने की शिकायत की है. कहा है कि पर्ची निकालने के बावजूद मनमाने तरीके से राशन दिया जाता है. किसी लाभुक को दो तो किसी को तीन तो किसी को चार महीने से राशन नहीं दिया गया है. कार्डधारियों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रदेव प्रसाद को आवेदन देकर राशन वितरण कराने की मांग की है. बीडीओ ने इसे गंभीरता से लेते हुए प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी प्रभु राम को कार्डधारियों को एक दिन के अंदर राशन वितरण कराने की बात कही. साथ ही जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को कार्य प्रणाली में सुधार लाने की चेतावनी दी

www.lagatar.in

पलामू-गढ़वा-लातेहार

बाबाजार प्रखंड के 12 गांवों के लोगों को मिला वन अधिकार का पट्टा मिला 545 हेक्टेयर भूमि के सामुदायिक वन पट्टा का वितरण

सेवादाता : मेदिनीनगर

अधिकांश दिग्गज पर सुझावर
समाहरणालय सभागत में
मम आवेगित कर उतारुतु
देवन, डीडीसी हाथीर अहमद,
मंडल पदधिकाारी समेत अन्य
पक्षीयों ने इन अधिका
नयन 2006 के सत
तार प्रवर्ध के 12 शब मे कुल
देवतेय धूम के सामुदायिक
तु स विमल किय,
मम दीशन समाहरणालय के
र मे अये लभरिधों के पेशे
ही दिख रही थी. समी ने एक
सकार पर किल प्रशमन को
शव करते हुए कहा कि यही
निर्भर लोगों से उनक



यदि पद पाने वाले साधुओं के साथ हीरो, हीरोईन व अन्य

अधिकार देने के लिए सरकार या प्रशासन गंभीर है।

उन्होंने कहा कि प्रशासन वन पट्टा
हमिल्ल करने के योग्य हर व्यक्ति

को उसका एक दिलाने के प्रति
संकल्पित है, उन्होंने जिला

कल्याण पदाधिकारी सेवाराम साहू
को अग्रिम वीर दिशेन वनाधिकार

अधिवेशन के अंतर्गत तीस्र गति से बड़ी संख्या में भूमिहीन पात्र लोगों के बीच वनपट्टा वितरण करने की संघर्ष प्रयत्नाएँ करने को लेकर

निर्देशित किया, उन्होंने कल्याण पत्रिकाधारी को वन क्षेत्र को अंतर्गत हर बांध में वनाधिकार समिति (एकज्वरसी) अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति (एसटीएलसी) व जिलास्तरीय वनाधिकार समिति (टीएलसी) को सक्रिय रखने पर बात दिया।

उपरोक्त में साक्षार में मौजूद छात्रों से बनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन क्षेत्र में निवास करनेवाले लोगों को उनके अधिकार की जानकारी पहुंचाने के सहयोग करने की अपील की, मौके पर उपरोक्त के अलावे अरर राजारत कुंदन कुमार, एनडीसी समेत नावासाक्षर से आपे बड़ी संख्या में छात्रों उपस्थित थे।

शिव आदिवासी दिवस पर नगर भवन में कार्यक्रम आयोजित

चेतलाल रामदास ने